राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक–5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

rajssaquality@gmail.com Ph-2701596

क्रमांक : राप्राशिप / गुणवत्ता शिक्षा / पीईईओ / 2017–18 5569 दिनांक : 10/8/17

स्मरण पत्र

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा
समस्त जिले।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा
समस्त जिले।

विषय :–पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किये जाने वाले कार्यों के संबंध में।
संदर्भ :–राप्राशिप / गुणवत्ता शिक्षा / पीईईओ / 2017–18 / 4341 / दिनांक 19.07.2017

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक 15 (1) / प्रा.शि / 2017 / 11.04.2017 के द्वारा माध्यमिक शिक्षा के संस्था प्रधान को पदेन पंचायत प्रारम्भिक अधिकारी नामित किया गया है। पीईईओ का मुख्य दायित्व ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित प्रारम्भिक शिक्षा के प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालों को प्रशासनिक एवं अकादमिक नेतृत्व व सम्बलन प्रदान करना है।

शाला दर्शन वैब पोर्टल पर पीईईओ के लॉगिन आईडी सृजित किये गये हैं। लॉगिन आईडी द्वारा पीईईओ को **"पदेन पंचायत प्रारम्भिक अधिकारी द्वारा किये जाने वाले 5 कार्य"** एवं **"आगंनबाडी समन्वयन"** पर कार्य करना है। आदिनांक तक आगनंबाडी समन्वयन के कार्य की **प्रगति चिंताजनक है** तथा पीईईओ द्वारा **"पदेन पंचायत प्रारम्भिक अधिकारी द्वारा किये जाने वाले कार्य"** की प्रगति संतोषप्रद नहीं है। परिषद् के पत्र क्रमांक 4341 दिनांक 19.07.2017 के द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि 7 दिवस में उक्त कार्य सम्पादित करवाया जाना सुनिश्चित करें। लेकिन आज दिनांक तक किसी भी जिले की उपलब्धि शत प्रतिशत नहीं है।

जुलाई माह की एमपीआर मय मासिक समीक्षा बैठक प्रतिवेदन का मॉडयूल शाला दर्शन पोर्टल पर पीईईओ लॉगिन के अन्तर्गत प्रारम्भ किया गया है। जिसे पीईईओ द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अपडेट किया जाना है। जुलाई माह की एमपीआर आज दिनांक तक अपडेट नहीं है **इसे गम्भीरता से लिया गया है।**

जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा जिले के समस्त पीईईओ को निर्देशित करें कि अपने लॉगिन से किये जाने वाले पीईईओ के 5 कार्य, आंगनबाडी समन्वयन मॉडयूल के कार्य एवं एमपीआर मय मासिक समीक्षा बैठक प्रतिवेदन को 7 दिवस में आवश्यक रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। **कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा एवं पीईईओ के विरूद्व होने वाली आवश्यक कार्यवाही के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होगें।**

संलग्न –

1. **जिलेवार आगंनबाडी समन्वयन की कार्य प्रगति प्रतिशत में।**
2. **जिलेवार पीईईओ द्वारा किय जाने वाले कार्य की प्रगति प्रतिशत में।**

10.8.17
(सुरेश चन्द्र)
अतिरिक्त आयुक्त
रामाशिप,जयपुर

(जस्सा राम) 10/8/17
अतिरिक्त आयुक्त
राप्राशिप,जयपुर

क्रमांक : राप्राशिप / गुणवत्ता शिक्षा / पीईईओ / 2017–18 5570 दिनांक : 10/8/17

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप,जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
4. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
5. जिला परियोजना समन्वयक, रमसा को प्रेषित कर लेख हैं कि पत्र की प्रति समस्त पीईईओ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
6. जिला परियोजना समन्वयक, एसएसए, समस्त जिले।
7. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, रमसा / एसएसए, समस्त जिले को प्रेषित कर लेख हैं कि पीईईओ के द्वारा किये जाने वाले कार्यों की प्रतिदिन सतत् मॉनीटरिंग किया जाना सुनिश्चित करें।
8. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
9. उपनिदेशक, शाला दर्पण को प्रेषित कर लेख हैं कि पत्र को समस्त पीईईओ की ई–मेल आई.डी पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
10. रक्षित पत्रावली।

10.8.17
अतिरिक्त आयुक्त
रामाशिप,जयपुर

10/8/17
अतिरिक्त आयुक्त
राप्राशिप,जयपुर

www.rajteachers.com